

उपाध्यत  
=====

- |     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| (1) | श्री श्री 000धोदायजी      | अध्यक्ष                                |
| (2) | श्री 80वी0 सिंह           | आवास आयुक्त सदस्य                      |
| (3) | श्री त्रिभुवन नारायण सिंह | सहसचिव सदस्य                           |
| (4) | श्री राम जीतार दीक्षित    | सदस्य विधान परिषद सदस्य                |
| (5) | श्री सत्य प्रकाश गुप्ता   | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग सदस्य        |
| (6) | श्री जे0वी0 दुबे          | मुख्य नगर एवं ग्राम निधीयक सदस्य       |
| (7) | श्री मोहर सिंह            | संयुक्त सचिव, स्वायत्तशासन विभाग सदस्य |
| (8) | श्री हनु प्रकाश शेरन      | प्रशासक नगर महापालिका, लखनऊ सदस्य      |

क्रमांक	विषय	संख्या सं०	निष्पत्ति
(1)	दिनांक 16-9-78 को हुई बैठक के कार्य-वृत्त की पुष्टि ।	VI/(1)/78	परिषद को दिनांक 16-9-78 को हुई बैठक के कार्य-वृत्त की पुष्टि की गई ।
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 16-9-78 के कार्य-वृत्त की अनुपालन आख्या ।	VI/(2)/78	परिषद द्वारा दिनांक 16-9-78 को हुई बैठक के कार्य-वृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया ।
(3)	हनुप्रद रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद ।	VI/(3)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया जाय कि योजना क्षेत्र में किसी समिति अथवा व्यक्ति का ले-आउट प्लान स्वीकार न किया जाय ।
(4)	नेनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना इलाहाबाद की धारा-28 के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव एवं प्राप्ति ।	VI/(4)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(5)	वेतियाहाता (पश्चिमी) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोरखपुर ।	VI/(5)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(6)	वेतियाहाता (पूर्व) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोरखपुर ।	VI/(6)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

*(Handwritten Signature)*



1	2	3	4
			(1) मुख्य नगर एवं ग्राम निधोजक (2) आवास आयुक्त (3) श्री टीएसनोसिंह, सदस्य परिषद
(16)	परिषद की बुलन्दशहर VI/(16)/78 मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सु-1 हाथुड में समाविष्ट खसरा नं० 1416 के तीन बिखरी क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में ।	VI/(16)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(17)	आवास परिषद को देहरादून रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रुड़की में समाविष्ट खसरा नं० 1171 से 1178 तक का अर्जन से मुक्त करने के संबंध में ।	VI/(17)/78	आवास आयुक्त को इस विषय पर थल का निरीक्षण करके अन्तिम निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया । आवास आयुक्त निर्णय से शासन को भी सूचित कर दे ।
(18)	राम नगर मित्र नगर VI/(18)/78 योजना, लखनऊ के सेक्टर-7 में वर्ष 1977-78 के तैरहवें शासन द्वारा अन्तर्गत बनाये जाने वाले एमओए/75के 73 भवनों की प्राथमिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।	VI/(18)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(19)	लाजत नगर गृहस्थान VI/(19)/78 योजना, मुरादाबाद में 20 अर्ध आय वर्ग तथा 100 दुर्जल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के संबंध में ।	VI/(19)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(20)	घटवासन योजना आगरा VI/(20)/78 की भूमि में से आगरा कलेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को भूमि अर्जन से मुक्त करने हेतु उक्त सोसायटी से लिए जाने वाले विकास व्यय की धनराशि का निर्धारण ।	VI/(20)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(21)	रायबरेली में पुनः उपखण्ड खोलने के संबंध में ।	VI/(21)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपखण्ड की स्थापना अतिरिक्त भूमि का कब्जा मिलने के बाद ही की जाय ।
(22)	आवास एवं विकास पर परिषद में वित्तनक्रम 1250-1600 में अधिसूची अभियन्ता के सेलेशन ग्रेड का सृजन ।	VI/(22)/78	परिषद द्वारा यह आकांक्षा की गई कि उक्त प्रस्ताव का शासन के प्रतिनिधित्व भत्ता देने के आदेश के पृष्ठ भूमि में पुनः परीक्षण किया जाय तथा परिषद की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत किया जाय ।

*Lal*




- (23) मन्थालय पर एक पद **VI/(23)/78** परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।  
इलेक्ट्रिशियन वेतनमान  
रु 170-2-18450 री०  
3-205-50 री०-4-225  
में स्वीकृति किया जाना ।
- (24) आशुलिपियों के सेलेशन **VI/(24)/78** आशुलिपियों को सेलेशन ग्रेड दिये जाने के लिये सेवा  
ग्रेड के सम्बन्ध में ।  
जबकि क्या हो इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया  
जाय । सेलेशन ग्रेड दिये जाने हेतु विनियमों के  
संशोधन का आलेख भी प्रस्तुत किया जाय ।
- (25) परिषद के मुख्यालय **VI/(25)/78** परिषद द्वारा विचारोपरान्त यह आज्ञा दी गयी  
के प्रांगण में आवासीय कि सर्व प्रथम इस बात का परीक्षण किया जाय कि  
भवन बनाने के संबंध में ।  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के नये कार्यालय  
लया परिषद के अन्य कार्यालय के लिये कोई बड़ा  
भवन उपलब्ध है अथवा नहीं और उसका प्रस्ताव  
परिषद की अगली बैठक में रखा जाय ।
- (26) उत्तर प्रदेश आवास **VI/(26)/78** इस विषय का और अधिक परीक्षण करने हेतु  
एवं विकास परिषद निम्नलिखित उप समिति का गठन किया गया :-  
रेगुलेशन फार दी ग्रान्ट (1) संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, स्वयत्त शासन,  
ऑफिस हाउस बिल्डिंग विभाग ।  
एडग्रान्ट टु दि इम्प्लाइज्ड (2) सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ।  
आरु दि परिषद, 1973
- (27) परिषद के कार्य-कलापों **VI/(27)/78** समय अभाव के कारण इस विषय पर विचार अगली  
के सम्बन्ध में टिप्पणों ।  
बैठक के लिये स्थगित किया गया ।
- (28) परिषद द्वारा गठित **VI/(28)/78** समय अभाव के कारण इस विषय पर विचार  
कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट ।  
अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया ।
- (29) अनुप शहर रोड एवं **VI/(29)/78** परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।  
शिवपुर रोड के बीच में टीडा गाँव के परीक्षण की भूमि पर योजना सं०-2  
बलनदशहर की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राकल्पन ।
- (30) परिषद द्वारा साइट **VI/(30)/78** परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।  
एण्ड मॉडिसेज योजना साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि इस योजना  
मालू बनाने के बारे में ।  
को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय इसके कार्यान्वयन हेतु  
विस्तृत सम रिखा ( detaled modatities )  
की जाय ।
- (31) मिट्टी के न्टोनमेन्ट में **VI/(31)/78** परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को सिद्धान्त स्तर से स्वीकार  
सेना की भूमि के ऊपर किया गया । आवास आयुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु  
परिषद द्वारा विस्तृत योजनाओं में सुरक्षा कर्मचारियों के लिए भूदान/भूदानों के आरक्षण के सम्बन्ध में ।  
अधिकृत किया गया ।
- (32) मेरठ की गडरोड योजना **VI/(32)/78** समय अभाव के कारण उक्त विषय पर विचार  
के अन्तर्गत मध्यम आय अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया ।  
(1156 टक्का) भवन संख्या 30-39 श्री रोहिताश  
उमार गोयल, मण्डलायुक्त के पास में पराने मस्य पर जावेदिय किया जानी ।

*Handwritten signature*

1	2	3	4
---	---	---	---

- (33) मेरठ की गंदरीह योजना  
खंड-2 दासपुर नगर  
के अन्तर्गत टूट पाकिंग  
वेज तथा बुकिंग रजिस्ट्रार  
के लोडरेंट को धटाने के  
सम्बन्ध में। VI/(33)/78 समय अभाव के कारण उक्त विषय  
पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित  
किया गया।
- (34) सम्पत्ति प्रलम्भ की कार्य  
पद्धति एवं सिधा प्रणाली  
में सुधार हेतु इडकी की  
पुनर्सेली सर्विसिज के सम्बन्ध  
में। VI/(34)/78 समय अभाव के कारण उक्त विषय  
पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित  
किया गया।
- (35) जानपुर नगर में परिषद  
की योजनाओं के संचालन हेतु  
एक ग्रुप की स्थापना। VI/(35)/78 परिषद द्वारा निर्मांकित संशोधन के  
साथ उक्त प्रस्ताव खोजा किया गया।  
(1) दफ्तरी का पद खोदत नहीं किया  
गया।  
(2) एक सेम्सेहर कार ड्रय करके आगरा  
भेज दी जाय तथा आगरा से जानपुर  
के लिये वर्तमान जीप स्थानान्तरित कर  
दी जाय।
- (36) दैनिक भत्तों के सम्बन्ध में। VI/(36)/78 समय अभाव के कारण उक्त विषय पर  
विचार अगली बैठक के लिये स्थगित किया  
गया।
- (37) प्रतिनियुक्ति पर आये  
अधिकारियों/अधिकारियों  
को प्रतिनियुक्ति भत्ता  
खोदत करने के सम्बन्ध में। VI/(37)/78 परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि  
शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही की जाय।
- (38) अतिथि वस्तु मेरठ के अन्तर्गत VI/(38)/78 परिषद द्वारा उक्त विषय के परीक्षण  
हेतु निर्मांकित सदस्यों की समिति गठित  
की गयी-  
(1) संयुक्त सचिव, उपशासन, वित्त विभाग  
(2) मुख्य नगर एवं ग्राम निवोजक।  
(3) श्री टी०एन०सिंह, सदस्य परिषद।  
(4) जावास आयुक्त।  
परिषद द्वारा यह आकांक्षा की गयी कि  
उक्त समिति एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट  
प्रस्तुत करेगी। परिषद द्वारा यह भी  
निर्णय लिया गया कि पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति  
सम्बन्धी इस प्रकार के अन्य प्रस्तावों पर  
भी उक्त समिति द्वारा विचार किया जाय।  
और पुनर्नियुक्ति के कारणों पर स्वतः सख्त  
टिप्पणियाँ रखी जाय।

पुष्टि की गई  
  
 अध्यक्ष  
 6.1.79